नईदुनिया

शहर में नकली दवाओं का कारोबार, ताला लगाकर चलाते थे अवैध फैक्ट्री

Updated: | Mon, 27 Jan 2020 07:46 AM (IST)

ग्वालियर में नकली दवा के कारोबार का खुलासा होने के बाद अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।

ग्वालियर ।नईदुनिया प्रतिनिधि।Gwalior News सेहत दुरूस्त करने के भरोसे में आंखबंद कर जो दवाएं आप खा रहे हैं,वे नकली भी हो सकतीं हैं। शुक्रवार को शहर में नकली दवा कारोबार का खेल सामने आया है। पुरानी छावनी क्षेत्र में सेंट जॉन वियानी स्कूल के सामने केलेक्स हेल्थ केयर नाम से दवा फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है जो पूरी तरह अवैध निकली।

यहां बिना लायसेंस के दवाओं का निर्माण बकायदा मशीनों के माध्यम से किया जा रहा था और भारी मात्रा में दवाएं-सीरप व दवाओं का कच्चा माल बरामद किया गया है। 170 बोतल फोलिक एसिड की (आईरोलेक्स एसटी सीरप) मिलीं जो मार्च 2019 में ही एक्सपायर्ड हो चुकीं थीं। इन्हें विनिष्ट कराया गया। यह पूरी फैक्ट्री मेन गेट पर ताले लगाकर चलाई जा रही थी जिससे किसी को भनक न लगे और टीम ने दीवारें फांद पूरी फैक्ट्री को घेरा,तब कार्रवाई की। जिले में ड्रग माफिया पर यह पहली कार्रवाई बताई जा रही है।

भंडाफोड़ः केलेक्स इंडिया,ऐसे हुई चली कार्रवाई

जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि पुरानी छावनी में केलेक्स हेल्थ केयर नाम से अवैध फैक्ट्री चल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर की यह कार्रवाई थी लेकिन कलेक्टर अनुराग चौधरी ने फूड सेफ्टी की अभिहीत अधिकारी दीपशिखा भगत को जिम्मा दिया। नायब तहसीलदार धीरेंद्र गुप्ता,फूड सेफ्टी टीम के आनंद शर्मा,विनोद सरगैया और पुलिस फोर्स के साथ शुक्रवार दोपहर यहां रेड की गई। यहां दवा बनाने की पूरी मशीनरी मिली और कच्चा माल भी काफी मात्रा में बरामद किया गया। मौके पर राहुल दुबे नाम का युवक मिला और प्रोपराइटर संजय पाठक नहीं थे।

सेल्समैन को भागते में पकड़ा,मची भगदड़

जिला प्रशासन की टीम को बाहर फैक्ट्री पर ताला लगा मिला जिसकारण कुछ लोगों को दीवार से उपर चढ़ाया तो कुछ को पीछे से घुसाया गया। काफी खटखटाने और आवाज देने के बाद गेट नहीं खोला गया। पीछे के रास्ते से सेल्समैन सहित कुछ स्टाफ भागने का प्रयास करने लगा तो उन्हें पुलिस ने दबोच लिया।

30 सितंबर को ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचे थे तो कैसे चल रही थी फैक्ट्री?

इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा सवाल ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर और दिलीप अग्रवाल पर है क्योंकि 30 सितंबर 2019 को इसी केलेक्स हेल्थ केयर फैक्ट्री में जाकर ड्रग इंस्पेक्टर्स ने जांच की और सैंपल लिए। लायसेंस तब भी नहीं था और अब भी नहीं मिला। इतनी बडी अवैध यूनिट मिलने पर भी संचालन क्यों होने दिया गया। उस समय यहां दूसरी कंपनियों के नाम पर नकली दवा बनाने का काम किया जा रहा था।

कार-ऑटो में जाते थे कार्टन

इस दवा फैक्ट्री से माल चोरों की तरह सप्लाई किया जाता था। कारों और ऑटो में दवाओं के कार्टन कम-कम मात्रा में भेजे जाते थे जिसकारण किसी को पता न चले। ग्वालियर के बाजारों सहित आसपास भी इस फैक्ट्री का माल खपाया जाना पता चला है।

एसटीएफ करने वाली थी रेड

इस अवैध फैक्ट्री का इनपुट स्पेशल टास्क फोर्स के पास भी पहुंचा था और रेड करने की तैयारी की जा रही थी। वरिष्ठ अफसरों ने भी कार्रवाई के लिए हरीझंडी दी थी लेकिन इससे पहले ही जिला प्रशासन ने रेड कर दी।

अवैध निकली दवा फैक्ट्री

पुरानी छावनी पर अवैध दवा फैक्ट्री केलेक्स हेल्थ केयर को पकड़ा गया है। यहां लायसेंस नहीं मिला और मशीनें व कच्चा माल काफी मिला। एक्सपायर्ड दवाओं को विनिष्ट कराया गया। डायवर्सन व अन्य बिंदु भी जांचे जा रहे हैं।

दीपशिखा भगत,अभिहीत अधिकारी,फूड सेफ्टी

पहले की थी कार्रवाई

30 सितंबर 2019 को इस फैक्ट्री पर जांच की थी और यहां दूसरी कंपनियों के नाम पर भी दवा बन रही थी। केस दर्ज कर सैंपल लिया गया जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वैधानिक कार्रवाई की गई थी।

Source: https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/gwalior-bbbb-5270075